N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0008 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/01/2025 18:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 17/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 15/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:52 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/01/2025 **Time (समय):** 17:20 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/01/2025 18:10:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 6.5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** SHRI KHETESHWAR ASSOCIATES KE SAMNE, PALRODE JODHPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VEDPRAKASH SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KANHEYALAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SHRI KHETESWAR ASSOCIATES, NEAR PASSPORT OFFICE, JODHPUR, JODHPUR CITY WEST, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SHRI KHETESWAR ASSOCIATES, NEAR PASSPORT OFFICE, JODHPUR, JODHPUR CITY WEST, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MULARAM CHOUDHARY		पिता:DALLARAM CHOUDHARY	1. KODKA,RANIWARA,सांचोर, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	Fरिश्वती राशि पचास हजार रूपये	50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर विषयः-रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत। महोदयजी, निवेदन यह है कि मैं वेदप्रकाश सिंह पुत्र श्रीकन्हैयालाल जाती राजपुरोहित उम्र 28 वर्ष निवासी श्री खेतेश्वर ऐसोसियट्स नियर पासपोर्ट कार्यालय जोधपुर का रहने वाला हू दिनांक 25.11.2024 को श्री पृथ्वीसिंह हिंगोला ने मेरे खिलाफ झंवर थाने में मुकदमा न0 133/2024 दर्ज करवाया था। दिनांक 12.12.24 को दोपहर 3.45पी.एम. पर झंवर थानाधिकारी मुलाराम चोधरी व अन्य 4 लोग मेरे आफिस में आये ओर मेरे से आफिस में मारपीट करते हुए मुझे झंवर थाने ले गये। वहॉ उन्होने मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट की फिर मुझे थानाधिकारी मुलाराम जी ने कहा की 50,000/- रूपये दे दे तो तेरी मुकदमें में मदद कर दुंगा नहीं तो तुझे गिरफ्तार कर दुंगा। फिर मुझे दिनांक 13-12-24 को सुबह 8ए.एम.आने का कह कर छोड़ दिया। फिर मैं दिनांक 13-12-24 को जब सुबह झंवर थाने गया तो थानाधिकारी वहॉ नहीं मिले मुझे कोन्सटेबल प्रतापराम मिला उसने मुझे मुकदमें से संबंधित नोटिस दिया ओर बताया कि सी.आई. साब ने आपको मिलने के लिए कहा हैं इसलिए आप उनसे मिल लेना। सी.आई. साब जब आपको फोन करें तब उनसे सिधे आके मिल लेना। आज दिनांक 17.12.24 को 3.03पी.एम.पर थानाधिकारी महोदय मुलाराम जी चोधरी ने मुझे काल करके कहा की आप थाने आ जाओ आपका मामला रफा-दफा कर दुंगा। इस मुकदमें में मेरी मदद करने की एवज में थानाधिकारी झंवर मुलारमा जी चोधरी 50,000/- रूपये कि रिश्वत की मॉग कर रहे है। मैं मेरे जायज काम के लिए सी.आई.साब मुलाराम जी चोधरी जी को रिश्वत देना नहीं चाहता बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। श्री मुलाराम चोधरी सी.आई.साहब थानाधिकार झंवर से ना तो मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिस है। ओर ना हि कोई पुराना लेन देन बाकी है। कृपया करके कानुनी कार्यवाही करें। भवदीय एसडी 17-12-24 वेदप्रकाश सिंह पुत्र श्री कन्हैयालाल जी निवासी श्री खेतेश्वर एसोसियट्स पाल रोड़ जोधपुर [redacted] कार्यवाही पुलिस दिनांक 17/12/24 समय 05 पी.एम. उपरोक्त तहरीर रिपोर्ट श्री वेदप्रकाश सिंह पुत्र श्रीकन्हैयालाल जाति राजपुरोहित उम्र 28 वर्ष निवासी श्री खेतेश्वर एसोसियट्स पाल रोड़ जोधपुर ने उपस्थित ब्यूरो चौकी होकर मन् उप अधीक्षक के समक्ष पेश की मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निरोधक निवारण अधिनियम के हद में पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति राजपुरोहित उम्र 28 साल निवासी खेतेश्वर ऐसोसिएटस पासपोर्ट कार्यालय के पास पाल रोड जोधपुर एसीबी चौकी पर परिवादी उपस्थित है। चौकी पर श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकार्य से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर गये हुए है। जिस पर उक्त रिपोर्ट पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। परिवादी द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि " दिनांक 25.11.2024 को श्री पृथ्वीसिंह हिंगोला ने मेरे खिलाफ झंवर थाने में मुकदमा न0 133/2024 दर्ज करवाया था। दिनांक 12.12.24 को दोपहर 3.45 पर झंवर थानाधिकारी मुलाराम चौधरी व अन्य 4 लोग मेरे आफिस में आये ओर मेरे से आफिस में मारपीट करते हुए मुझे झंवर थाने ले गये। वहॉ उन्होने मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट की फिर मुझे थानाधिकारी मुलाराम जी ने कहा की 50,000/- रूपये दे दे तो तेरी मुकदमें में मदद कर दुंगा नहीं तो तुझे गिरफ्तार कर दुंगा। फिर मुझे दिनांक 13-12-24 को सुबह 8 ए.एम. पर आनें का कह कर छोड़ दिया। फिर मैं दिनांक 13-12-24 को जब सुबह झंवर थाने गया तो थानाधिकारी वहॉ नहीं मिले मुझे कान्सटेबल श्री प्रतापराम मिला उसने मुझे मुकदमें से संबंधित नोटिस दिया ओर बताया कि सीआई साहब ने आपको मिलने के लिए कहा हैं इसलिए आप उनसे मिल लेना। सीआई साहब जब आपको फोन करें तब उनसे सीधे ही आकर मिल लेना। आज दिनांक 17.12.24 को 03.03 पी.एम. पर थानाधिकारी श्री मूलाराम चौधरी ने मुझे काल करके कहा की आप थाने आ जाओ आपका मामला रफा-दफा कर दुंगा। इस मुकदमें में मेरी मदद करने की एवज में थानाधिकारी झंवर श्री मूलाराम जी चौधरी 50,000/- रूपये कि रिश्वत की मॉग कर रहे है। मैं मेरे जायज काम के लिए सीआई साहब श्री मूलाराम चौधरी जी को रिश्वत देना नहीं चाहता बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हु। श्री मुलाराम चौधरी सीआई थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर से ना तो मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश है। ओर ना हि कोई पुराना लेन देन बाकी है। कृपया करके कानूरी कार्यवाही करें। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह से मजीद दरियाफ्त एवं परिवादी की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जानें पर नियमानुसार गोपनीय मांग सत्यापन कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लानें हेतु कार्यालय में उपस्थित श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष

में तलब कर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह से परिचय करवाया गया। परिवादी से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को सुपर्द कर परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करनें हेतु निर्देशित किया गया। समय 05.25 पी.एम. पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को मन् पुलिस निरीक्षक मनीश वैष्णव मय रिपोर्ट व दस्तावेज के अपने कार्यालय में लेकर आया। श्री वेदप्रकाश सिंह से रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे में दरियाफ्त की तो उसने लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सही होना बताया। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संधोधित 2018) का होना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय के श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 को तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दूसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने, संचालन करने के प्रक्रिया परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा समझाईश की गई। समय 06.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर नया मेमोरी कार्ड लगाकर श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 को सुपर्द कर श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 को हिदायत दी गई कि आप वक्त मांग सत्यापन वार्ता के समय परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑन कर उसको देवें तथा परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के साथ जाकर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह व संदिग्ध अधिकारी के मध्य रिष्वति राषि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा कर लावे। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के साथ श्री छैलाराम कानि. को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सहित परिवादी की निजी कार से पुलिस थाना झंवर के लिए रवाना किया गया। समय 06.50 पी.एम. पर श्री छैलाराम कनि0 46 व परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह उपस्थित कार्यालय आये व श्री छैलाराम कनि0 46 ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा मन् निरीक्षक पुलिस को सुपर्द कर अवगत कराया कि मैं और परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह परिवादी के निजी वाहन से रवाना होकर शनिश्चर जी के थान से थोडा आगे पहुँचे, जहाँ पर संदिग्ध अधिकारी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस का परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के मोबाईल फोन पर कॉल आया । वाहन चलाने के कारण मोबाईल का संदिग्ध अधिकारी को प्रतिउत्तर नही दे सका। फिर परिवादी वेदपालसिंह ने पुनः संदिग्ध अधिकारी से पुनः वार्ता की गई तों कहा है कि आप कल पुलिस थाने आ जाना। जिस पर मैं और परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह शनिश्चर जी के थाने से रवाना होकर पुनः ब्यूरो चौकी उपस्थित हुए। जिस पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को कल दिनांक 18.12.2024 को कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया गया । डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर कों मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में रखा। दिनांक 18.12.2024 समय 10.00 ए.एम. पर पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह ब्यूरो चौकी उपस्थित हुआ। कार्यालय के श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 का ब्यूरों के किसी राजकार्य में बाहर होनें पर कार्यालय के श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91 को कार्यालय कक्ष में तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नं. एक दुसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने, संचालन करने के प्रक्रिया परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को पुनः समझायी गई। समय 10.10 ए.एम. पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह व श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय परिवादी के निजी वाहन से ब्यूरो चौकी जोधपुर शहर से पुलिस थाना झंवर के लिए रवाना किया गया। श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91 कों मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हिदायत दी गई कि कार्यवाही की गोपनीयता रखतें हुए परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के साथ जाकर संदिग्ध अधिकारी श्री मूलाराम चौधरी एवं परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा कर लावे। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के साथ श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सहित परिवादी की निजी कार से पुलिस थाना झंवर के लिए रवाना किया गया। श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91 को हिदायत दी गई कि कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखे। समय 03.10 पी.एम. पर गोपनीय रिश्वतराशि मांग सत्यापन करवाने परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के साथ पुलिस थाना झंवर की तरफ गये हुए श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 व परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह उपस्थित कार्यालय आये व श्री भूरसिंह हैड कानि. ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अवगत कराया कि मैं व परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह, परिवादी की निजी वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना झंवर के पास पहुंचे। जहां पर झंवर थाने से थोडा पहले मैंने परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस से रिश्वतराशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु पुलिस थाना झंवर के लिए रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिति गोपनीय रूप से छुपाते हुए पुलिस थानें के आसपास ही परिवादी के आने के इन्तजार किया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री वेद्रपकाश सिंह पुलिस थाना झंवर से बाहर निकल कर मेरे पास आया। परिवादी को पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया। जिस पर मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं साथ ही परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना झंवर में गया जहां मुझे थानाधिकारी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस उपस्थित मिले। श्री मूलाराम चौधरी थानाधिकारी ने मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 133/2024 में मदद करने की ऐवज में 50,000/-रूपये रिश्वत राषि की मांग की है और मुझे थानाधिकारी ने बताया कि मै स्वयं आकर राशि प्राप्त कर लूंगा

। फिर हम वहां से रवाना होकर कार्यालय आये है। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री वेदप्रकाश से पूछा तों श्री वेदप्रकाश सिंह नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि पुलिस थाना झंवर में मेरी श्री मूलाराम चौधरी थानाधिकारी से रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हुई है। श्री मूलाराम चौधरी थानाधिकारी झंवर द्वारा मेरे विरूद्व प्रकरण संख्या 133/2024 में मदद करनें की एवज में 50,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग की गई है। और मुझे थानाधिकारी ने बताया कि मै रिश्वत राशि 50,000 रूपयें स्वयं आकर प्राप्त कर लूंगा। जिस पर डिजीटल वॉयस ट्रेप रिकार्डर को ऑन कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह व आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मध्य हुई रूबरू वार्ता को सुना गया तो उपरोक्त कथनो की ताईद हुई एवम आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 133/2024 में मदद करनें की एवज में परिवादी से 50,000/-रूपये रिश्वतराशि मांगने की पुष्टि हुई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर को स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। आईन्दा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जावेगी। समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा मांगी गई 50,000 रूपयें रिश्वत राशि की व्यवस्था करनें एवं कार्यवाही की गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरो चौकी से रूख्सत किया। दिनांक 19.12.2024 समय 02.15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होनें के कारण एक पत्र श्रीमान सहायक अभियंता नगर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर के नाम मुर्तिब कर कार्यालय पत्रांक 4293 दिनांक 19.12.2024 जारी कर प्रेषित किया गया। समय 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50,000/-रूपये की व्यवस्था कर लेकर आया हू। समय 03.05 पी.एम. पर सहायक अभियंता कार्यालय जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर से दो स्वतन्त्र श्री लोकेश कुमार गुर्जर व श्री सुरेन्द्रसिंह उपस्थित आये। जिनका बारी-बारी परिचय मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पुछा तो श्री लोकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री हेमराज़ जाति गुर्जर उम्र 34 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम व पोस्ट रेलगॉव तहसील दिगोद जिला कोटा हाल टेक्नीशियन कार्यालय सहायक अभियंता सी-2, जोधपुर विद्युत वितरण निगम जोधपुर मोबाईल [redacted] एवं श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री मूलसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 43 वर्ष पेशा नौकरी निवासी प्लाट न0 343 खसरा न0 120 रामनगर नांदड़ी जोधपुर हाल टेक्नीशियन कार्यालय सहायक अभियंता ए-3 जोधपुर विद्युत वितरण निगम मोबाईल [redacted] होना बताया। समय 03.10 पी.एम. पर परिवादी श्री वेदप्रकाश पूर्व से ही कार्यालय में मौजूद है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री लोकेश कुमार गुर्जर व श्री सुरेन्द्रसिंह से परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह का परिचय कराया गया। दोनो गवाहान को परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह द्वारा पेष की गई हस्तलिखित रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया व परिवादी की रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कराया गया। जिस पर दोनो गवाहान ने कार्यवाही में स्वतंन्त्र गवाहान बनने हेतु सहमति दी तथा परिवादी की रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों पर अपने-अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित किये गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश को गवाहान को सुनाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डाला हुआ ही स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। समय 03.30 पी.एम. पर दोनों गवाहान के रू-ब-रू परिवादी श्री वेदप्रकाश सिह पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति राजपुरोहित उम्र 28 वर्ष निवासी श्री खेतेश्वर एसोसियट्स पाल रोड़ जोधपुर ने आरोपी श्री मूलाराम निरीक्षक पुलिस को रिश्वत में दी जानें वाली भारतीय मुद्रा के 50000 रूपयें जिसमें 500-500 रूपये के कुल 100 नोट प्रस्तुत किये। परिवादी से वेदपकाश सिंह द्वारा प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के नोटों के नम्बर फर्द पेशकसी में अंकित किये गये। उक्त नोटो पर श्री गणेश राम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री लोकेश कुमार गुर्जर से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ों में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 50,000/- रूपयें के नोट श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से ही श्री वेदप्रकाश सिंह के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे की बांयी जेब में रखवाये गये। इसके पश्चात् एक साफ प्लास्टिक की गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्लास्टिक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त कीं हैं। हाजरिन को सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोपथलीन पाउडर के महत्व एवं क्रिया प्रतिक्रिया को भली भांति समझाया। इसके पश्चात् फर्द दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक के गिलास को नष्ट करवाया गया। ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व विम पाउडर से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गयें। श्री गणेश राम सहायक प्रशासनिक

अधिकारी के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा श्री मूलाराम निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर जिला जोधपुर सिटी पश्चिम द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व श्री मूलाराम निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी झंवर जिला जोधपुर सिटी पश्चिम से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। श्री मूलाराम निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी झंवर जिला जोधपुर सिटी पश्चिम द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा कहाँ छुपाता है, का भी ध्यान रखें। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को हिदायत दी गई कि श्री मूलाराम निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी झंवर जिला जोधपुर सिटी पश्चिम द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल [redacted] पर मिस कॉल/कॉल अथवा हाथ से गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् निरीक्षक पुलिस एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जायें। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहाँ तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् निरीक्षक पुलिस के पास कुछ आकस्मिक खर्च के 2000 रूपये रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी देकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के अलमारी के डबल लॉक मेंरखवाकर कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत देकर कार्यालय मंे छोड़ा गया। कार्यवाही की फर्द तैयार कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह ने गोपनीय सूत्रों से संदिग्ध अधिकारी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस की थानें में उपस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी की गई तों कहीं हल्के क्षेत्र में जाना ज्ञात हुआ। अभी शाम का समय होनें व थानाधिकारी के थानें पर उपस्थित नही होनें के कारण आज कार्यवाही होना संभव नही है। साथ ही परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह नें कहा कि संदिग्ध अधिकारी श्री मूलाराम चौधरी कभी भी आधा एक घण्टा का कहकर मेरे कार्यालय में आकर रिश्वत राशि ले सकता है। जिस पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को पूर्व में सुपुर्दशुदा रिश्वति राशि 50000/रूपये परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के पहनी हुई पेन्ट की आगे की बांयी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री लोकेष कुमार गुर्जर से निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में डलवाकर उपरोक्त रिश्वति राशि 50000/रूपये को व परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली, डिजिटल वॉयस टेप रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाकर अलमारी का डबल लॉक लगवाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखी। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को हिदायत दी कि जब कभी संदिग्ध आरोपी आपको बुलावे या सम्पर्क करे तो तुरंत मन् मनीष निरीक्षक पुलिस को सुचित करे ताबाद परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह व स्तवन्त्र गवाहान श्री लोकेश कुमार गुर्जर व श्री सुरेन्द्रसिंह को गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरो चौकी से रूखस्त किया गया। दिनांक 14.01.2025 वक्त 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह ब्यूरो कार्यालय जोधपुर में हाजिर आया तथा बताया कि संदिग्ध अधिकारी ने अभी तक मुझसे सम्पर्क नहीं किया है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने दिनांक 18.12.2024 को परिवादी श्री वेदप्रकाशसिंह एवं आरोपी श्री मूलाराम चौधरी थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। वक्त 10.35 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही की जाने हेतु स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेष कुमार गुर्जर एवं श्री सुरेन्द्रसिंह को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु जरिये मोबाईल फोन पाबन्द किया गया। वक्त 11.15 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेष कुमार गुर्जर टेक्नीशियन एवं श्री सुरेन्द्रसिंह टेक्नीशियन कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। जिन्हे बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया। वक्त 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह एवं आरोपी श्री मुलाराम निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मध्य हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.12.2024 जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता एक आवाज परिवादी वेदप्रकाश सिंह ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस की होना बताया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। उक्त तीनो सीडीयों में एक सीडी को मूल मानकर उक्त सीडी एक कपडे की थैली मे डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील्ड चस्पा कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। बाकी दो सीडीयों को खुली हालात में रहने दी गई। उक्त खुली हालात मे रखी दोनों सीडीयों को एक अनुसंधान अधिकारी के

लिए व एक आरोपी को देने के लिए तैयार की गई है। मूल सीडी का शील्डशुदा पैकेट एवं खुली दोनो सीडी को कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी श्री स्वरूपचंद हैडकानि. नं. 29 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही की संभावना के मध्यनजर कार्यालय में ही उपस्थित रहनें की हिदायत दी गई। वक्त 01.15पी.एम. पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री मूलाराम चौधरी थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर का मेरे पास मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.12.2024 के बाद आज दिनांक तक फोन नहीं आने के कारण रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व मैं उनके पास जाकर मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमें के सम्बन्ध में बातचीत करना चाहता हूं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय में उपस्थित श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को तलब कर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर जिसमें मेमोरी डाला हुआ है, को स्वीचऑफषुदा श्री भूरसिंह हैड कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के साथ पुलिस थाना झंवर जाकर परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली वार्ता को रिकार्ड कर लाने की हिदायत देकर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के साथ उसके निजी वाहन से रवाना किया। दिनांक 14.01.2025 वक्त 03.15 पी.एम. पर परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी मध्य वार्ता करवाने हेतु गये झंवर थाने की तरफ गये हुए श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 व परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह उपस्थित कार्यालय आये व श्री भूरसिंह हैड कानि. ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा मन् निरीक्षक पुलिस को सुपूर्द कर अवगत कराया कि मैं व परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह, परिवादी की निजी वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना झंवर से थोडा पहलें पहुंचे। जहां पर मैंने परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर के मध्य होने वाली वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु पुलिस थाना झंवर रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिति गोपनीय रूप से छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री वेद्रपकाश सिंह पुलिस थाना झंवर से बाहर निकल कर मेरे पास आया। परिवादी को पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया। जिस पर मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं साथ ही परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना झंवर में गया जहां मुझे थानाधिकारी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस उपस्थित मिले। जिनसे मेरे खिलाफ पुलिस थाना झंवर के दर्ज मुकदमा के निपटारा के सम्बन्ध में बात की तो संदिग्ध अधिकारी ने मेरे कों बताया कि आपके मामले का निपटारा हो जायेगा। आज कितने रूपये साथ लेकर आये हो जिस पर मैंने उनको बताया कि आज मेरे पास 4000/-रूपये ही है। तो श्री मूलाराम चौधरी ने मेरे 4000/-रूपये ले लिये साथ ही मैंने उनको कहा कि बाकी रूपये मैं लाकर दे दुंगा तो श्री मूलाराम चौधरी ने मुझे बताया कि मैं आज आपको कॉल कर आपके ऑफिस 5.00 बजे आकर लें लुगा। फिर हम वहां से रवाना होकर कार्यालय आये है। परिवादी नें भी मन् निरीक्षक पुलिस कों श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 के उपरोक्त कथनों की ताईद परिवादी द्वारा की गई। जिस पर डिजीटल वॉयस ट्रेप रिकार्डर को ऑन कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो उपरोक्त कथनो की ताईद हुई एवम आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह से 4000/-रूपये रिष्वत राषि के प्राप्त करना एवं शेषरिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा गया। आईन्दा रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जाना तय किया गया। वक्त 04.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वति राशि 50000/-रूपये जो सफेद लिफाफे में कार्यालय की अलमारी के डबल लॉक में रखवाये गये थे उक्त अलमारी का ताला खोलकर अलमारी में रखी गई रिश्वत राशि के सफेद लिफाफे को अलमारी गवाह श्री लोकेश कुमार गुर्जर से निकलवाया गया। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ों में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। उक्त रिश्वत राशि 50000/-रूपये को सफेद लिफाफे में से निकलवाकर गवाह श्री लोकेश कुमार गुर्जर से ही परिवादी के पहनी हुई जींस पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे गये। उक्त सफेद लिफाफे को गवाह श्री लोकेश कुमार गुर्जर से जलाकर नष्ट करवाया गया एवं गवाह श्री लोकेश गुर्जर के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली निकालकर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास रखी। ताबाद मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री किशनसिंह उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमती सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेष कुमार गुर्जर टेक्नीशियन एवं श्री सुरेन्द्रसिंह टेक्नीशियन, मय ब्यूरो जाब्ता श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भीमसिंह कानि. नं. 446, श्री अमित कुमार कानि. नं. 270, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक मय तीन निजी वाहन मय सरकारी वाहन नं. आर जे 19 युसी 3352 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि. 535 एवं दो निजी मोटरसाईकिल के ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली सहित ब्यूरो चौकी जोधपुर से परिवादी के ऑफिस श्री खेतेश्वर ऐसोषिसियट, पासपोर्ट कार्यालय के पास, पाल रोड़ जोधपुर की तरफ रवाना हुए। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के साथ श्री भूरसिंह कानि. को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर देकर परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया गया। वक्त 06.45 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, मय हमराहीयान के परिवादी के कार्यालय श्री खेतेश्वर ऐसोषिसियट,

पासपोर्ट कार्यालय के पास, पाल रोड़ जोधपुर से वापिस आये और हालात इस प्रकार से है कि कार्यालय से रवाना होकर मय हमराहीयान के परिवादी के कार्यालय श्री खेतेश्वर ऐसोसिएट पासपोर्ट कार्यालय के पास पाल रोड जोधपुर पहुचे। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सरकारी वाहन एवं निजी वाहनों को रोड़ के साईड में गोपनीय रूप से खड़ा करवाया। आरोपी श्री मुलाराम चौधरी फोन कर अचानक परिवादी के ऑफिस में आ सकता है। इस कारण परिवादी कार्यालय को डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑनकर सुपुर्द करना सम्भव नहीं होने पर परिवादी को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालु एवं बन्द करने की समझाईश कर आवश्यक हिदायत के साथ कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ शुदा परिवादी को सुपुर्द किया। मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमारायन के परिवादी के गोपनीय रूप से परिवादी के ईषारा का इन्तजार किया। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री वेदप्रकाष सिंह ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया आज संदिग्ध अधिकारी श्री मुलाराम चौधरी का अभी तक कोई फोन नहीं आया है। श्री मूलाराम चौधरी मेरे ऑफिस आयेंगे या नहीं मैं उनको फोन कर बात कर लेता हूं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री भूरसिंह हैड कानि. से कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन करवाकर परिवादी श्री वेप्रकाष सिंह के मोबाईल नं. [redacted] से संदिग्ध अधिकारी श्री मूलाराम चौधरी के मोबाईल नं. [redacted] पर वाट्सऐप कॉलिंग वार्ता करवाई परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई तो परिवादी ने श्री मुलाराम चौधरी को कहा कि मेरा ऑफिस मंगल करने का टाईम हो रहा है आप आ रहे हो तो वैट करू। जिस पर आरोपी श्री मुलाराम ने कहा कि नहीं आपको काम हो तो आप निकल जाओ मेरे को आने में टाईम लगेगा 9-10 बज जायेंगे। तो परिवादी ने कहा की मैं 9-10 बजे तक वैट करू जिस पर संदिग्ध अधिकारी ने कहा आप निकल जाओ। मैं सुबह आपसे मिल लुंगा। ताबाद उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को श्री भूरसिंह हैड कानि. से स्वीच ऑफ करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। आज कार्यवाही सम्भव न नहीं होने के कारण परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को पूर्व में सुपुर्दशुदा रिश्वति राशि 50000/रूपये परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहिनी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री लोकेष कुमार गुर्जर से निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में डलवाकर उपरोक्त रिश्वति राशि 50000/रूपये गवाह श्री लोकेष कुमार गुर्जर के पास रहनें दी गई। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को हिदायत दी गई कि कल दिनांक 15.01.2025 को आप प्रातः 09.00 बजे अपने ऑफिस श्री खेतेष्वर ऐसोषिसियट, पासपोर्ट कार्यालय के पास, पाल रोड़ जोधपुर के पास उपस्थित मिलने की हिदायत देकर रूखस्त किया। इसके बाद चौकी के लिए रवाना होकर चौकी पहुचे। चौकी पहुचकर मन मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री लोकेश कुमार गुर्जर से रिश्वत राशि 50,000/- रुपये जो सफेद लिफाफे में रखे हुए स्थिति में ही कार्यालय के अलमारी के डबल लॉक में रखवा कर डबल लॉक एवं अलमारी के ताला लगवाया जाकर चाबी मन निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखी गई। डिजिटल वायस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। ताबाद स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों स्टाफ को कल दिनांक 15.01.2025 को वक्त 9.00 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 15.01.2025 वक्त 09.20 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश कुमार गुर्जर टेक्नीशियन एवं श्री सुरेन्द्रसिंह टेक्नीशियन कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 09.30 ए.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री भूरंसिह हैड कानि. नम्बर 91, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक, श्री लोकेश कुमार गुर्जर स्वतन्त्र गवाह निजी वाहन सें एवं श्री चक्रवर्ती सिह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने निजी वाहन से, श्री किशन सिह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 व श्री सुरेन्द्रंसिह स्वतन्त्र गवाह के अपनें निजी वाहन से एवं श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक व श्री प्रेमंसिह चालक के सरकारी वाहन आर जे 14 यूसी 3352 के एवं श्री भीमंसिह कानि. व श्री अमित कुमार कानि. निजी मोटर साईकिल के एवं श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस अपनें निजी वाहन से ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादिया के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं रिश्वत राशि50,000 रूपयें जो एक सफेद कागज में रखी हुई के सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी जोधपुर शहर से परिवादी के कार्यालय श्री खेतेश्वर ऐसोसिएट पाल रोड जोधपुर के लिए रवाना हुए। वक्त 05.15 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री भूरंसिह हैड कानि. नम्बर 91, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक, श्री लोकेश कुमार गुर्जर स्वतन्त्र गवाह निजी वाहन सें एवं श्री चक्रवर्ती सिह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने निजी वाहन से, श्री किशन सिह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 व श्री सुरेन्द्रंसिह स्वतन्त्र गवाह के अपनें निजी वाहन से एवं श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक व श्री प्रेमंसिह चालक के सरकारी वाहन आर जे 14 यूसी 3352 के एवं श्री भीमंसिह कानि. व श्री अमित कुमार कानि. निजी मोटर साईकिल के एवं श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस अपनें निजी वाहन से ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादिया के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं रिश्वत राशि50,000 रूपयें जो एक सफेद कागज में रखी हुई के सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी जोधपुर शहर से समय 09.30 रवाना होकर वक्त 10.18 ए.एम.पर मिल्क मेन कॉलोनी के पास पहुंचे। जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश कुमार गुर्जर सें 50,000 रूपयें रिश्वत राशि के सफेद कागज में रखी हुई थी, जिस पर कागज को हटाकर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के पेन्ट की बांयी जेब में रखवाई गई। स्वतन्त्र गवाह श्री लोकेष कुमार गुर्जर के हाथ साफ पानी व साबुन सें धुलवाये गये। इसके बाद सफेद कागज

कों नश्ट किया गया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री वेदप्रकाष सिह को कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर रिश्वत राशि लेन देन हेतु परिवादी के कार्यालय खेतेष्वर ऐसोसिएट पालरोड जोधपुर के लिए रवाना किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से रिश्वत राशि लेन देन के समय डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर लेवे एवं रिश्वत राशि लेन देन हो जानें पर मन् निरीक्षक पुलिस को गोपनीय रूप से ईशारा करे। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रिश्वत राशि लेन देन के इन्तजार में गोपनीय रूप से खडे हुए। और सरकारी वाहन मय चालक श्री प्रेमसिंह व श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को बरकतुल्लाह स्टेडियम के पास खडे होकर इन्तजार करनें हेतु रवाना किया गया। परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह द्वारा आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस को अपनें मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री मूलाराम चौधरी के मोबाईल नम्बर [redacted]र परिवादी के द्वारा परिवादी के श्री खेतेष्वर ऐसोसिएट पर आनें के बारें में बार बार उपस्थित होनें हेतु अपनें वाटसअप व मोबाईल से कॉल किये गये थे। उक्त सभी कॉल परिवादी द्वारा ब्यूरों के डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में स्वयं द्वारा ही रिकॉर्ड की गई थी। उक्त सभी रिकॉर्डिग की आईन्दा रूबरू गवाहान के फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जावेगी। समय करीब 04.39 पी.एम. पर एक सरकारी जीप आरजे 19 यूसी 0702 खेतेष्वर ऐसोसिएट कार्यालय के थोडा आगे आकर रूकी। जिसमें से ड्राईवर की पास वाली सीट से एक बावर्दी पुलिस अधिकारी जिसकी वर्दी पर तीन स्टार लगे हुए थे, उतर कर श्री खेतेष्वर ऐसोसिएट के कार्यालय मे जातें हुए दिखाई दिया। करीब 10 मिनट बाद परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह व वर्दी में पुलिस अधिकारी श्री खेतेष्वर ऐसोसिएट के कार्यालय से बाहर आये। वर्दी में पुलिस अधिकारी जीप में आगे की सीट पर जाकर बैठ गया। और परिवादी जीप के बाहर वर्दी वालें अधिकारी को कागज में से रिश्वत राशि निकाल कर आरोपी पुलिस अधिकारी को देतें हुए व कागज के टुकडे कों फैकता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद वक्त 04.52पी.एम. पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह नें अपनें दाहिनी हाथ से गोपनीय ईशारा अपनें पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के खेतेष्वर ऐसोसिएट के कार्यालय के बाहर खडी सरकारी जीप के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह सें डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस नें प्राप्त कर डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर अपनें कब्जें में सुरक्षित रखा। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के वर्दी में पुलिस अधिकारी के पास पहुंचा तों आरोपी पुलिस अधिकारी अपनें हाथ में रिश्वत राशि की गड्डी को गिनतें हुए दिखाई दिया। ब्यूरों जाब्ता को देखकर वर्दी में पुलिस अधिकारी नें सरकारी जीप में ही रिश्वत राशिअपनें पांव के पास ही जीप में ही नीचे गिरा दी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें अपना व हमराहीयान का परिचय देतें हुए आनें के मन्तव्य से अवगत कराया गया। वर्दी में पुलिस अधिकारी को नाम पता पूछा तों उसनें अपना नाम श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री दलाराम चौधरी जाति पटेल उम्र 48 साल निवासी ग्राम कोडका पुलिस थाना करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर हाल निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर होना बताया। जिससे रिश्वत राशि के बारें में पूछा तों बताया कि मुझे अभी अभी श्री वेदप्रकाश सिंह नें 50,000 रूपयें राशि दी है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें 50,000 रूपयें रिश्वत राशिकिस बाबत लिये तों कोई उत्तर नही दिया। इसी दौरान कार्यवाही स्थल पर मौजूद श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री किशन सिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस भी उपस्थित आये। व श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को मय सरकारी वाहन मय चालक श्री प्रेमंसिह के तुरन्त मौके पर पहुचनें के निर्देश दिये गये। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस को सरकारी जीप में से श्री खेतेष्वर ऐसोसिएट के कार्यालय में आरोपी के हाथों के धोवन की कार्यवाही हेतु लेकर आये। व सरकारी जीप में रिश्वत राशिकी सुरक्षा हेतु श्री छैलाराम कानि. को नियुक्त किया गया। श्री खेतेष्वर ऐसोसिएट कार्यालय के बाहर भीडभाड हो जानें से आरोपी श्री मूलाराम चौधरी से परिवादी के रूबरू पूछताछ व हाथ धोवन की कार्यवाही हेतु श्री खेतेष्वर ऐसोसिएट के कार्यालय में लेकर आये। कार्यवाही की विडीयो रिकॉर्डिग मोबाईल फोन से करनें हेतु श्री भीमसिंह कानि. को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा निर्देशित किया गया। इसी दौरान श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक व सरकारी वाहन मय चालक श्री प्रेमंसिह के मौके पर उपस्थित आये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के रूबरू गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के समक्ष आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस से रिश्वत राशिके बारें मे पूछा तों आरोपी नें बताया कि इन्होनें मुझे बुलाकर गाडी में पैसे डाल दिये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें आरोपी श्री मूलाराम चौधरी सें कहा कि आपकी रिकॉर्डिग मे पैसे की डिमाण्ड हो रखी है। तों आरोपी नें कहा कि मुझे आप सुनाईये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री मूलाराम चौधरी को कहा कि बिना डिमाण्ड एसीबी हाथ नही डालती है। मन् निरीक्षक पुलिस नें आरोपी श्री मूलाराम चौधरी से कहा कि आपनें कल पैसे लिये या नही यह बताओं। जिस पर आरोपी नें कहा कि मैनें कल कहां पैसे लिये। जिस पर आरोपी के सामनें ही खडे परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह से पूछा तों परिवादी नें कहा कि थानें के अन्दर सो रहे थें तब चार हजार रूपयें दिये थे। अभी मुझें इन्होनें कैमरे के सामनें मुझे बुलाया है और कहा कि लिफाफे में डालकर पैसें दे दो। अननेसेसरी मेरा उस मैटर में कोई लेना देना नही है यह इनकों भी पता है। और उसके बाद भी मुझे जबरदस्ती घसीट रहे है और सुबह भी इनका फोन आया है कि मै चालान पेश कर रहा हूं। मैनें कहा कि मै साहब सेणों आदमी हूं मेरा इस मैटर में कोई लेना देना नही है। उसके बाद मै भी बोला कि चलों ठीक है, पचास हजार देनें है। पचास हजार की बात होनें के बावजूद भी चालान पेश कर रहे है तो बात ही खत्म हो गयी। एक तरफ पैसे ले रहे हो दूसरी तरफ अननेसेसरी ट्राचर कर रहे हों। धन्धा लेकर बैठा हूं,

बीबी बच्चे वाला आदमी हूं। इसी दौरान आरोपी श्री मूलाराम चौधरी नें कहा कि मैनें आपसे डिमाण्ड कब की थी। जिस पर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह नें कहा कि मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, सबसे पहलें मै आपके पास ऑफिस में आया था तो आपनें कहा था कि पचास हजार, तब आरोपी श्री मूलाराम चोधरी ने कहा कि मैनें पचास हजार का कब कहा था। मैनें कब कहा था । तब परिवादी नें कहा कि सब रिकॉर्डिंग है। परिवादी नें यह भी कहा कि आप गलत नही है तों क्यों डर रहे हो। मन् निरीक्षक पुलिस नें आरोपी श्री मूलाराम चौधरी से कहा कि आपनें डिमाण्ड में कहा कि आईआर के सम्बन्ध में एपीपी से बात करनी पडेगी। जिस पर आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस नें मन् निरीक्षक पुलिस को कहा कि आपकी रिकॉर्डिंग में यह बात आयी हुई है कि मुकदमें में आईआर आयी है तो एपीपी से बात करनी पडेगी। जिस पर आरोपी नें कहा कि ब्रीफ में कोई धारा चेन्ज हो जाए तो। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें आरोपी से कहा कि रिकॉर्डिंग में आपकी डिमाण्ड आयी हुई तो आरोपी नें मना कर दिया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह वं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री दलाराम जाति पटेल उम्र 48 साल निवासी ग्राम कोडका पुलिस थाना करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर हाल निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के साफ गिलास निकाल कर उक्त प्लास्टिक के दोनों गिलासों में से एक गिलास में श्री खेतेष्वर ऐसोसिएट के वाटर कूलर में से साफ पीने का पानी को स्टील के लोटे से एक प्लास्टिक गिलास को आधे से अधिक भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे प्लास्टिक के गिलास में साफ पीनें का पानी लोटे से आधे से अधिक डाला गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल. एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। इसके बाद रिश्वत राशिआरोपी द्वारा सरकारी जीप में आगे की सीट पर बैठ कर गिन कर ब्यूरों जाब्ता को देखकर सीट के आगे की तरफ नीचे गिरा दी थी। जिस पर रूबरू गवाहान के रिश्वत राशिको कब्जा ब्यूरो ली जानी है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस श्री खेतेष्वर ऐसोसिएट के कार्यालय से मय आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस व रूबरू गवाहान के परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सहित कार्यालय के बाहर पहुंचा। श्री भीमसिंह कानि. से विडियों रिकॉर्डिंग उनके मोबाईल से चालू करवाकर रिश्वत राशिबरामदगी कार्यवाही कार्यालय श्री खेतेष्वर ऐसोसिएट के बाहर शुरु की गई। फर्द पेशकसी स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह को सुपर्द कर रिश्वत राशिश्री लोकेश कुमार गुर्जर को सुपर्द कर नोटों को बोल बोल कर मिलान करवाया गया तों फर्द पेषकसी के अनुसार उक्त राशि फर्द के मुताबिक 500-500 रूपयें के 100 नोट होना पाई गई। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4SK 581565, 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर3DK 866770, 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7AR 927565, 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर5WG 317749, 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4CU 147716, 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर3VW 977490, 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1AF 204697, 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7VV 521324, 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9SG 238096,10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7WT 893498, 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4FL 216302,12.500 रूपये का एक नोट नम्बर8HK 070351,13. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1AH 739232, 14.500 रूपये का एक नोट नम्बर0CS 878468, 15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर0MU 881654, 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4FW 523658, 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर3TU 121768, 18. 500 रूपये का एक नोट नम्बर0DF 008317, 19. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7AR 352980, 20. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9AF 641144, 21. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9WV 722815, 22. 500 रूपये का एक नोट नम्बर2HL 869705, 23. 500 रूपये का एक नोट नम्बर8MU 841527, 24. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1UV 287106, 25. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4QR 275167, 26. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1QC 427400, 27. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4MS 601519, 28. 500 रूपये का एक नोट नम्बर5GS 338319, 29 500 रूपये का एक नोट नम्बर4GL 531632, 30. 500 रूपये का एक नोट नम्बर6RD 927696, 31. 500 रूपये का एक नोट नम्बर2PG 768101, 32. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1QU 967738, 33. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1SG 112272, 34. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9UT 177342, 35. 500 रूपये का एक नोट नम्बर8FE 894802, 36.

500 रूपये का एक नोट नम्बर4FR 611994, 37. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1PB 002087, 38. 500 रूपये का एक नोट नम्बर2HQ 043019, 39. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1HD 671498, 40. 500 रूपये का एक नोट नम्बर8PS 188951, 41. 500 रूपये का एक नोट नम्बर8PS 195366, 42. 500 रूपये का एक नोट नम्बर8PS 195367, 43. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4SD 977191, 44. 500 रूपये का एक नोट नम्बर8KC 478252, 45. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9WT 808569, 46. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9PP 982782, 47. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4PD 375727, 48. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7GS 894688, 49. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7GS 894689, 50. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7GS 894678, 51. 500 रूपये का एक नोट नम्बर6PG 114737, 52. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7TC 693353, 53. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9QK 412444, 54. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7ML 158986, 55, 500 रूपये का एक नोट नम्बर6PR 928908, 56. 500 रूपये का एक नोट नम्बर5KG 316803, 57. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1MF 177299, 58. 500 रूपये का एक नोट नम्बर0DA 686084, 59. 500 रूपये का एक नोट नम्बर5ER 373316, 60. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9NS 957501, 61. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1SU 652960, 62. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9KN 451035, 63. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7VG 676757, 64. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1FR 359775, 65. 500 रूपये का एक नोट नम्बर0KG 200845, 66. 500 रूपये का एक नोट नम्बर5WE 326961, 67. 500 रूपये का एक नोट नम्बर6CP 108456, 68. 500 रूपये का एक नोट नम्बर2CU 238797, 69. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9EG 507740, 70. 500 रूपये का एक नोट नम्बर2FF 048557, 71. 500 रूपये का एक नोट नम्बर2UT 028055, 72. 500 रूपये का एक नोट नम्बर3EF 416150, 73. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7FS 295553, 74. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9HL 477540, 75. 500 रूपये का एक नोट नम्बर6SD 095679, 76. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1AE 476885, 77. 500 रूपये का एक नोट नम्बर2AP 138746, 78. 500 रूपये का एक नोट नम्बर0BV 837779, 79. 500 रूपये का एक नोट नम्बर8SP 704181, 80. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1HR 068718, 81. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4FC 565107, 82. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9LL 005966, 83. 500 रूपये का एक नोट नम्बर2EE 987871, 84. 500 रूपये का एक नोट नम्बर6KV 216360, 85. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9AF 629846, 86. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4NU 476132, 87. 500 रूपये का एक नोट नम्बर6VU 511448, 88. 500 रूपये का एक नोट नम्बर3WE 762782, 89. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7BS 593099, 90. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4AF 327954, 91. 500 रूपये का एक नोट नम्बर3RF 323458, 92. 500 रूपये का एक नोट नम्बर5FP 657717, 93. 500 रूपये का एक नोट नम्बर9EQ 827646, 94. 500 रूपये का एक नोट नम्बर6QE 869116, 95. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1FF 582793, 96. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1FF 582792, 97. 500 रूपये का एक नोट नम्बर0GF 605247, 98. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7BV 218976, 99. 500 रूपये का एक नोट नम्बर5ES 494690, 100. 500 रूपये का एक नोट नम्बर6CE 307000 उक्त भारतीय मुद्रा 50,000/-को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। इसके बाद रिश्वत राशिबरामद स्थान का धोवन लेना आवश्यक होनें के कारण एक प्लास्टिक के गिलास में आधे से अधिक पानी भरवाया गया। इसके बाद उसके अन्दर सोडियम कार्बोनेट का एक चम्मच डाला गया। इसके बाद उपस्थित सभी नें रंगहीन होना स्वीकार किया गया। इसके बाद रिश्वत राशिबरामद स्थान सीट व मेट को श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक सें रगड रगड कर धोवन लिया गया। तो धोवन का रंग मटमैला हो गया। सभी नें मटमैला होना स्वीकार किया गया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एस. -1 व एस.-2 अंकित किया गया। जिस चिन्दी से धोवन लिया गया, उस चिन्दी को कपडे की थैली में डालकर सील्ड कर प्रकरण का विवरण अंकित कर पैकेट को मार्क एस अंकित किया गया। इसके बाद सरकारी जीप के चालक श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री दुर्जनंसिह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी ग्राम हमीरा तहसील जैसलमेंर हाल कानि. नम्बर 1872 पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर से इस सम्बन्ध में पूछताछ की गई तों बताया कि मै पुलिस में सामान्य कानि. के पद पर वर्ष2011 मे भर्ती हुआ था। पुलिस थाना झंवर के ड्राईवर श्री अमर सिह के अवकाश पर होनें के कारण थानाधिकारी श्री मूलाराम चौधरी मुझे समय करीब 12.30 पी.एम. पर पुलिस थाना झंवर सें सरकारी जीप मे मालखाना एचएम श्री हुकमाराम सहित न्यायालय पुराना हाईकोर्ट परिसर रवाना हुए थे। बाद न्यायालय में कामकाज कर श्री हुकमाराम को न्यायालय में ही छोड कर वापिस आतें समय यहां पर थानाधिकारी नें मुझे चाय पीनें के लिए पासपोर्ट ऑफिस के पास रूकनें के लिए कहा था। मुझे यह नही पता था कि थानाधिकारी श्री मूलाराम जी कोई रिश्वत राशिलेने के लिए आये है। मै तों मात्र थानें के ड्राईवर के अवकाश पर होनें के कारण अस्थाई तौर पर सरकारी जीप को लेकर आया था। आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार सें लिरवाई गई तों आरोपी के पहनें हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी जेब में एक सैमसंग कम्पनी का मोबाईल मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर (1) 350269500266017 (2) 351219550266010 व मोबाईल में सिम नम्बर [redacted] एयरटेल कम्पनी की होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन

कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी श्री मूलाराम चोधरी निरीक्षक पुलिस के पास कोई वस्तु, राशि व दस्तावेज कब्जा ब्यूरों नही लिया गया। कार्यवाही के दौरान ही पुलिस थाना झंवर से उक्त प्रकरण संख्या 133/2024 दिनांक 25.11.2024 की मूल पत्रावली मय चार्जशीट के पूर्व से पाबन्द शुदा श्री गंगाराम कानि. लेकर उपस्थित आया है। उक्त मूल पत्रावली की आईन्दा प्रमाणित प्रति प्राप्त कर मूल पत्रावली पुलिस थाना को अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटा दी जावेगी। आरोपी श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री दलाराम जाति पटेल उम्र 48 साल निवासी ग्राम कोडका पुलिस थाना करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर हाल निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पशिचम द्वारा परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के विरूद्व पुलिस थाना झंवर में दर्ज प्रकरण संख्या 133/2024 में मदद करनें की एवज में 50,000 रूपयें रिश्वत राशिकी दिनांक 18.12.2024 को मांगना, दिनांक 14.01.2025 को परिवादी से 4000 रूपये पुलिस थाना झंवर में प्राप्त करना व आज दिनांक 15.01.2024 कों 50,000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपनी सरकारी जीप में प्राप्त करना पाये जानें पर अन्तर्गत अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अब तक की कार्यवाही से श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री दलाराम जाति पटेल उम्र 48 साल निवासी ग्राम कोडका पुलिस थाना करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर हाल निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी. श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री दलाराम जाति पटेल उम्र 48 साल निवासी ग्राम कोडका पुलिस थाना करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर हाल निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। वक्त 11.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री दलाराम जाति पटेल उम्र 48 वर्श निवासी ग्राम कोड़का पुलिस थाना करडा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर हाल निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम को किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके कहे अनुसार उनके पड़ौसी श्री गंगादास वैष्णव पुत्र श्री तुलसीदास निवासी मानसरोवर कॉलोनी पाल जोधपुर को रूबरू दी गई। वक्त 12.40 ए.एम. पर मौके की रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। घटना स्थल का नक्शा मौका रात्रि अधिक हो जानें के कारण मूर्तिब किया जाना संभव नही है। घटना स्थल का नक्शा मौका सुबह किया जावेगा। ट्रेप कार्यवाही में निरीक्षक पुलिस श्रीमति सुनीता कुमारी व श्री अमित कुमार कानि. को आरोपी श्री मूलाराम चौधरी के सरकारी आवास की तलाशी हेतु दिनांक 15.01.2025 कों समय 06.15 पी.एम. पर रवाना किया गया था। जो बाद कार्यवाही के मौके पर उपस्थित आये। जिस पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री किशनसिंह उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमती सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश कुमार गुर्जर टेक्नीशियन एवं श्री सुरेन्द्रसिंह टेक्नीशियन मय ब्यूरो जाब्ता श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 100, श्री भूरसिंह हैड कानि.नं. 91, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भीमसिंह कानि. नं. 446, श्री अमित कुमार कानि. नं. 270, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक मय गिरफ्तारशुदा श्री मूलाराम चौधरी मय तीन निजी वाहन मय सरकारी वाहन नं. आर जे 14 यू०सी 3352 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि. 535 एवं दो निजी मोटरसाईकिल के ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय को डिजीटल वॉयस रिकार्डर, परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली, प्रकरण संख्या 133/2024 पुलिस थाना झंवर की मूल पत्रावली मय बरामद शुदा रिश्वत राशि 50,000/- रूपये सील चिट शुदा, प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल.एच. 2, एस 1, एस 2, आरोपी श्री मूलाराम चौधरी का सैमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम, रिश्वत राशि बरामदगी स्थल सरकारी जीप के मेट से लिया गया धोवन को चिन्दी से रगड कर लिया गया था, उस चिन्दी का शील्ड शुदा पैकेट मार्क एस, के परिवादी के ऑफिस श्री खेतेष्वर ऐसोषिसियट, पासपोर्ट कार्यालय के पास, पाल रोड़ जोधपुर से एसीबी चौकी जोधपुर के लिए रवाना हुए एवं परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह को 16.01.2025 को प्रातः 10.30 बजे एसीबी कार्यालय जोधपुर में आने की हिदायत देकर वही छोड़ा गया। दिनांक 16.01.2025 वक्त 01.00 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर पहुंचा। इस समय श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एंव बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु चिकित्सा प्रभारी, सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर के नाम पृथक-पृथक तहरीर लिखकर श्री भूरसिंह हैड कानि. 91 को सुपुर्द कर श्री भूरसिंह हैड कानि. मय ब्यूरो जाब्ता श्री छैलाराम कानि. 46 मय सरकारी वाहन मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 के राजकीय सैटैलाईट अस्पताल पावटा के लिये आरोपी श्री मूलाराम चौधरी को लेकर रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस नें प्रकरण से संबंधित प्रार्दष बरामद शुदा रिश्वत राशि 50000/- रूपये सील चिट शुदा, प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल.एच. 2, एस 1, एस 2, आरोपी श्री मूलाराम चौधरी का सैमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम, रिश्वत राशि बरामदगी स्थल सरकारी जीप के मेट से लिया गया धोवन को चिन्दी से

रगड कर लिया गया था, उस चिन्दी का शील्ड शुदा पैकेट मार्क एस. को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा मे रखा। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को दिनांक 16.01.2025 को प्रातः 10.30 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। वक्त 01.20 ए.एम. पर श्री अमित कुमार कानि. नं. 270 को पुलिस थाना उदयमन्दिर पर आरे०पी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम की निगरानी हेतु रवाना किया गया। वक्त 01.30 ए. एम. पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 मय ब्यूरो जाब्ता श्री छैलाराम कानि. नं. 46 मय सरकारी वाहन मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 आरोपी श्री मूलाराम चौधरी का बाद मेडीकल परीक्षण करवाकर एवं आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर में हवालात में जमा करा पुलिस थाना उदयमन्दिर पर निगरानी हेतु श्री अमित कुमार कानि. नं. 270 को मामूर कर हाजिर आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व प्राप्ति रसीद मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। वक्त 11.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश कुमार गुर्जर व श्री सुरेन्द्रसिंह हाजिर आये है। वक्त 11.15 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश कुमार गुर्जर व श्री सुरेन्द्रसिंह घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब करनें हेतु परिवादी के कार्यालय श्री खेतेश्वर ऐसोसिएट पासपोर्ट कार्यालय के पास पाल रोड जोधपुर के लिए मय आवश्यक दस्तावेज के रवाना हुआ। वक्त 12.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश कुमार गुर्जर व श्री सुरेन्द्रसिंह के घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब हस्तलिखित कर चौकी पर उपस्थित आया। नक्शा मौका शामिल रंनिग नोट किया गया। वक्त 12.20 पी.एम. पर इस समय परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह एवं आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मध्य लेन देन से पूर्व दिनांक 14.01.2025 कों आरोपी व परिवादी के मध्य हुई रूबरू वार्तालाप, दिनांक 14.01.2025 कों परिवादी व आरोपी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता, दिनांक 15.01.2025 कों परिवादी व आरोपी के मध्य मोबाईल पर हुई प्रथम व द्वितीय वार्तालाप जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता एक आवाज परिवादी वेदप्रकाश सिंह ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस की होना बताया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो सीडीयां तैयार की। उक्त दोनों सीडीयों को खुली हालात में रहने दी गई। उक्त खुली हालात मे रखी दोनों सीडीयों को एक अनुसंधान अधिकारी के लिए व एक आरोपी को देने के लिए तैयार की गई है। मूल मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली की सिलाई कर शील्ड कर प्रकरण का विवरण अंकित कर दोनों खुली हालात में जमा सीडी व मूल मेमोरी कार्ड शील्ड शुदा कों श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपर्द कर जमा मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही में दौरानें रिश्वत राशि लेन देन दिनांक 15.01.2025 को परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के कार्यालय श्री खेतेश्वर ऐसोसिएट पर आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस के अचानक दुकान पर आ जानें के कारण परिवादी श्री वेदप्रकाश सिह डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को चालू नही कर पाया। इस कारण वक्त रिश्वति राशि लेन देन वार्ता को रिकॉर्ड नही कर पाये। रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व ही वार्ता ही डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड की गई। जिस पर परिवादी के कार्यालय श्री खेतेश्वर ऐसोसिएट में लगे सीसीटीवी कैमरें की रिकार्डिग वक्त रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की परिवादी अपनें मोबाईल में सेव करके लाया है। जिस पर कार्यालय के कम्प्युटर से मोबाईल को कनेक्ट कर कार्यालय के कम्प्युटर से वक्त रिश्वत राशि लेन देन वार्ताओं के विडियों की डीवीडी तैयार कर परिवादी व रूबरू गवाहान के शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 05.00 पी. एम. पर ट्रेप कार्यवाही मे परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता नही होनें पर कार्यालय से रूखस्त किया गया। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री वेदप्रकाश सिह की हस्तलिखित रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 18.12.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यालय के हैड कानि. श्री भूरसिंह नम्बर 91 को परिवादी के साथ पुलिस थाना झंवर भिजवाकर परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह व आरोपी श्री मूलाराम चौधरी निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम के मध्य करवाया गया तों आरोपी श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री दलाराम जाति पटेल उम्र 48 साल निवासी ग्राम कोडका पुलिस थाना करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर हाल निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पष्चिम द्वारा परिवादी श्री वेदप्रकाश सिंह के विरूद्ध पुलिस थाना झंवर में दर्ज प्रकरण संख्या 133/2024 में मदद करनें की एवज में 50,000 रूपयें रिश्वत राशि की दिनांक 18.12.2024 को मांगना, दिनांक 14.01.2025 को परिवादी से 4000 रूपये पुलिस थाना झंवर में प्राप्त करना व दिनांक

15.01.2024 को 50,000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपनी सरकारी जीप में प्राप्त करना दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, रिश्वत राशि बरामदगी स्थान सरकारी जीप के सीट व मेट से चिन्दी की मदद से लिये गये धोवन का मटमैला रंग प्राप्त होना, परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 133/2024 की मूल प्रकरण पत्रावली दौराने ट्रेप कार्यवाही ब्यूरों कब्जा लेना ईत्यादि के आधार पर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (मनीष वैष्णव) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो जोधपुर ......कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री दल्लाराम चौधरी जाति पटेल उम्र 48 साल निवासी ग्राम कोडका पुलिस थाना करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री खिंवसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 278 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 38-41 दिनांक 17.01.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 जोधपुर, 2.अतिरिक्त महानिदेशक (कार्मिक) पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):
or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): khinw SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)** or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 1[illegible]3

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)